

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या
138 / 2020

रजू दिनांक
11.08.2020

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
23.03.2021

उनवान

- 1 रणजीत सिंह पुत्र श्री एन0 एस0 सिन्हा वार्ड नं0 54 हौजखास दक्षिणी दिल्ली जरिये मुख्त्यारआम ख्यालीराम पुत्र श्री लक्खूराम जाति अहीर निवासी तलवाड तहसील बहरोड जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

- 1 माडूराम
- 2 बलबीर
- 3 अमरसिंह पुत्रान श्री कन्हैयालाल
- 4 महावीर सिंह
- 5 जसवन्तसिंह
- 6 संतोष कुमार पुत्रान श्री मंगलराम
- 7 श्रीमती ओमवती पत्नी श्री होशियार
- 8 तारावती पत्नी श्री इन्द्राज
- 9 सावित्री देवी पत्नी मदनलाल
10. महिपाल पुत्र श्री सूरजा जातियान अहीर निवासीयान बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
12. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बडोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
13. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय एस बी बी जे शाखा नीमराना जिला अलवर राज0।
14. साँवली देवी पत्नी मंगल राम जाति अहीर निवासी बावद तहसील मुण्डावर।

—: प्रतिवादीगण
दावा तकासमा

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री रणवीर सिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 23.03.2021 को श्री रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है:-

“तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी का वाद पत्र अन्तिम पर्चा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 403/0.56, 530/0.51, 532/0.47, 399/0.27, 399/705/0.48, 399/706/0.27, 399/707/0.39, 399/708/0.32 है0 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में वादी व प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श “अ” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे

अपे
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।”

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

रामसिंह राजावत
(रामसिंह राजावत)

उपखण्ड उपखण्ड अधिकारी
मुण्डामुण्डावर जिला अलवर राज0